

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक-1446/123/बजट/2022
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/9/2022

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 अन्तर्गत आवंटित बजट राशि/ग्लोबल बजट राशि के आहरण एवं उपयोग संबंधी।

(1) उपरोक्त विषय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए माह अप्रैल 2022 से अभी तक आपके महाविद्यालय/आपके अधीन आने वाले नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए बजट शाखा तथा संचालनालय की अन्य शाखाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं/बजट शीर्षों में समय-समय पर आवंटन जारी करते हुए राशि के आहरण एवं उपयोग के संबंध में आवंटित राशि/ग्लोबल बजट के नियमानुसार आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु निर्देशित जारी किये गये हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के 06 माह समाप्त होने जा रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके DDO की IFMIS Report निकालकर चेक करें तथा आपको/आपके अधीनस्थ महाविद्यालय के लिए जारी आवंटन/ग्लोबल बजट में उपलब्ध राशि का तत्काल नियमानुसार आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(3) यदि आपके द्वारा इस कार्यालय के द्वारा आवंटित राशि अथवा ग्लोबल बजट में उपलब्ध राशि का आहरण एवं भुगतान नहीं किया जाता है तथा राशि लैप्स होती ओर आगामी वर्ष में मांग की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डी.एस.हाड़ा)

संयुक्त संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22/9/2022

पृष्ठांकन. 1447/123/बजट/2022,
प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
 - 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 - 4 समस्त संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति शाखा, योजना शाखा, निर्माण शाखा, गुणवत्ता एवं अकादमिक शाखा, एन.एस.एस. समन्वय शाखा-1, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
 - 4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, रूस एवं विश्व बैंक परियोजना, एम.पी.नगर भोपाल
 - 5 निदेशक, स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, एम.पी.नगर भोपाल
 - 6 समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 - 7 कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश
- ...की ओर कृपया उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश